



# कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

साकेत भवन आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ.ग.)

मु.का. दुरभाष : 07759-221288, 222672, फैक्स : 07759-221929 पो.बॉक्स नं.12 पिन कोड -495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : Darrizone5@gmail.com

फा.क्र./94,115,116/निर्माण सर्वमंगला जोन/2019/12795


कोरबा,दिनांक 14.10.2019

## निविदा संशोधन सूचना पत्र

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सर्वमंगला जोन अंतर्गत फा.क्र./94,115,एवं 116/निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें अनुक्रमांक 01 बरमपुर बस्ती में सामुदायिक भवन का मेंटनेस कार्य हेतु परफार्मेन्स राशि की कटौती नहीं की जावेगी एवं अनुक्रमांक 03 में उल्लेखित कार्य वार्ड क्र.61 में जिम सामग्री प्रदाय एवं स्थापना कार्य हेतु निविदा में प्रकाशित शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

जिम सामग्री हेतु :-

- 01 निविदाकार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री के निर्माता/कंपनी/फर्म द्वारा अधिकृत विक्रेता/डीलरशीप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 02 निविदाकार द्वारा जिस निर्माता कंपनी के आयटम प्रदान करने हेतु दर प्रस्तुत की जा रही है,उन्हें उस कंपनी का आई.एस.ओ.सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदाकार इस निविदा के लिए अपात्र होगा।
- 03 निविदाकार आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक जिम सामग्रियों की कंपनी का आयटम कैटलॉग जिसमें उस सामग्री की समस्त तकनीकी जानकारी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हो प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 04 आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री के निर्माणकर्ता /कंपनी /फर्म द्वारा जारी अधिकृत विक्रेता/डीलरशीप प्रमाण पत्र,आयटम कैटलॉग एवं आई.एस.ओ.एक ही कंपनी का होना अनिवार्य है।
- 05 निविदाकार के पास अधिकृत विक्रेता/डीलरशीप फर्म कंपनी में उत्पादों का पूर्व में किसी शासकीय संस्था में प्रदाय किये जाने संबंधी कार्यादेश प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा की उपरोक्त प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता अथवा प्रवर श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।  
पढ़ा जावे। शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी।

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ.ग.)